

**तत्काल**

विषय: हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2017-18 के वेतन में से इनकम टैक्स की कटौती करने उपरान्त फार्म-16 देने बारे।

क्या

- 1 मुख्य मंत्री जी के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव -I-II/प्रधान विशेष कार्यकारी अधिकारी के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
- 2 मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
- 3 मुख्य सचिव के निजी सचिव।
- 4 सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/आयुक्त एवं सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
- 5 सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/अवर सचिवों के निजी सहायक।
- 6 हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/पुस्तकाध्यक्ष/उप-अधीक्षक/शाखा इन्चार्ज।
- 7 हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/उप जिला न्यायवादी/सहायक न्यायवादी/लेखा अधिकारी/अनुसन्धान अधिकारी।

उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देगे?

2. सूचित किया जाता है कि लेखा शाखा द्वारा वर्ष 2017-18 के वेतन में से आयकर की कटौती उपरान्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे लेखा शाखा में आकर अपना फार्म-16 दिनांक 20.06.2018 तक प्राप्त करे। ताकि आयकर रिटर्न फाईल की जा सके।



*Sunita Kaur*  
अधीक्षक लेखा

कृते: अवर सचिव (सामान्य), हरियाणा सरकार।

सेवा में

- 1 मुख्य मंत्री जी के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव -I-II/प्रधान विशेष कार्यकारी अधिकारी के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
- 2 मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
- 3 मुख्य सचिव के निजी सचिव।
- 4 सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/आयुक्त एवं सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
- 5 सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/अवर सचिवों के निजी सहायक।
- 6 हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/पुस्तकाध्यक्ष/उप-अधीक्षक/शाखा इन्चार्ज।
- 7 हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/उप जिला न्यायवादी/सहायक न्यायवादी/लेखा अधिकारी/अनुसन्धान अधिकारी।

अशा क्रमांक 11/14/2017-3ए

दिनांक चण्डीगढ़ 31.05.2018